न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/176/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अतरसिंह पुत्र ग्यारसी निवासी–रेटा, तहसील–कठूमर जिला–अलवर (राज.)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

प्रवेश तिथि : 29.11.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 05.12.18

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांकः 27.10.18 के माध्यम से प्रत्यर्थी को पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांकः 25.09.18 के संबंध में कार्यवाही बाबत सूचना उपलब्ध कराने की वांछा की गई थी।
5. उक्त आवेदन में वर्णित सूचना आवेदक को प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 27.11.2018 के माध्यम से इस न्यायालय को उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई. अपील/2018/1043 दिनांकः 29.11.18 के माध्यम से तलब कर जवाब के साथ इस न्यायालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः विविध/आरटीआई/2018/1021–23 दिनांकः 30.11.18 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
8. हमने प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब एवं अपीलार्थी की प्रथम अपील का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 27.10.2018 पर पत्रांकः विविध/आरटीआई/2018/1007–08 दिनांकः 15.11.18 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में ही विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय किया जाकर वर्णित प्रार्थना–पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति कठूमर को अन्तरित कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
9. चूँकि आवेदन में वांछित जानकारी प्रत्यर्थी के कार्यालय से संबंधित नहीं है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांकः 15.11.18 के माध्यम से किया गया विनिश्चय उचित है। अपीलार्थी को चाहिए कि वो विकास अधिकारी पंचायत समिति कठूमर के प्रथम अपील अधिकारी प्रधान पंचायत समिति कठूमर (अलवर) को पृथक से प्रथम अपील प्रस्तुत करे।
10. उक्त आलोक में उक्तांकित प्रथम अपील खारिज कर निस्तारित की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित।

(ओ.पी.जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR ... अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)